UPMT010042372012

न्यायालय विशेष न्यायाधीश उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–05, मथुरा।

उपस्थिति–उपस्थिति–श्वेता वर्मा (एच.जे.एस.)

(आई.डी. नंबर – UP 6428)

विशेष सत्रवाद संख्या– 311/2009

1. उत्तर प्रदेश राज्य

----------अभियोजक

बनाम

1. विक्रम पुत्र गोवर्धन सिंह, निवासी मांट मूला, थाना मांट, जिला मथुरा।

2. प्रेमपाल पुत्र स्वरूप सिंह , निवासी–फतेहगढ़ी, थाना–खैर, जिला–अलीगढ़।

---------- अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–207/2008
धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम
थाना–मांट, जिला मथुरा।

निर्णय

1– अभियुक्तगण विक्रम, प्रेमपाल व वीरेन्द्र के विरुद्ध पुलिस थाना–मांट, जिला–मथुरा द्वारा मु०अ०सं०–207/2008, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, थाना–मांट, जिला–मथुरा के अपराध में विचारण हेतु न्यायालय विशेष न्यायाधीश उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम , आगरा में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, आगरा द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण की पत्रावली विचारण हेतु न्यायालय विशेष न्यायाधीश उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, आगरा, से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2– प्रकरण में अभियोजन कथानक यह है कि "आज दिनांक–16.07.2008 को मैं थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्म मय सी.एल. अजय कुमार व सी.एल. 313 मदन मोहन मय जीप सरकारी नंबर यू.पी. 85 ए.जी. 0004 मय चालक आरक्षी मानसिंह के थान राजा से वहवाले रपट नंबर 22 समय 12.10 बजे रवाना होकर विवेचना मु.अ.सं. 27/08, धारा–60 एक्स एक्ट व 2/3 गैंगस्टर एक्ट में मामूर था तथा अन्दर इलाका थाना में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में रहकर जानकारी हुई कि अभियुक्त विक्रम पुत्र गोवर्धन नि० मांट थाना मांट, मथुरा व प्रेमपाल पुत्र स्वरूप सिंह खटीक नि. फतेहगढ़ी थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ तथा वीरेन्द्र पुत्र हरिराम जाट निवासी सेदलपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ का एक संगठित गिरोह है, जो हत्या व हत्या के प्रयास जैसे अपराध करके अवैध धन अर्जित करता है तथा ये शातिर किस्म का अपराधी है। थाना क्षेत्र में

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2026.03.31 16:11:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इनका भय एवं आतंक व्याप्त है। इनकी ख्याति जनमानस के लिए घातक एवं नुकसान देह है। जैसा कि इनके आपराधिक इतिहास से स्पष्ट है। उक्त शातिर अपराधियों का गैंगचार्ट श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अनुमोदित भी है। इनका आपराधिक इतिहास निम्नवत हैः–

(1)– विक्रम पुत्र गोवर्धन, नि०–मांट, थाना–मांट, मथुरा।

1– मु०अ०सं०–208/07, धारा–302,436,427 भा०द०सं०, थाना–मांट, मथुरा।
2– मु०अ०सं०–142/08, धारा–3 यू०पी० गुण्डा एक्ट, थाना–मांट, मथुरा।
3– मु०अ०सं०–43/07, धारा–25 आयुध, थाना–वृन्दावन, मथुरा।

(2)– प्रेमपाल पुत्र स्वरूप सिंह खटीक, निवासी–फतेहगढ़ी, थाना–टप्पल, अलीगढ़।

1–मु०अ०सं०–208/07, धारा–302,436,427 भा०द०सं०, थाना–मांट, मथुरा।
1–मु०अ०सं०–145/08, धारा–307 भा०द०सं०, थाना–टप्पल, अलीगढ़।
3–मु०अ०सं०–147/08, धारा–25 आयुध अधिनियम, थाना–टप्पल, अलीगढ़।

(3)– वीरेन्द्र पुत्र हरीराम जाट, निवासी–सेदलपुर, थाना–टप्पल, अलीगढ़।

1–मु०अ०सं०–208/07, धारा–302,436,427 भा०द०सं०, थाना–मांट, मथुरा।
2–मु०अ०सं०–145/08, धारा–307 भा०द०सं०, थाना–टप्पल, अलीगढ़।
3–मु०अ०सं०–146/08, धारा–25 आयुध अधिनियम, थाना–टप्पल, अलीगढ़।

अभियुक्त विक्रम उपरोक्त अपने उपरोक्त साथियों के साथ नाजायज गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ कमाने के लिए असामाजिक क्रिया कलापों में संलिप्त होकर हत्या एवं हत्या के प्रापक जैसे जघन्य अपराध करता है। इनकी आम ख्याति जनहित में घातक एवं नुकसान देह है। इनका यह कृत्य जुर्म धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की परिधि में आता है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करें।

3– अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाधिकारी/पुलिस कार्यालय द्वारा अनुमोदित गैंगचार्ट व वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना–मांट, जिला–मथुरा में मु०अ०सं०–207/2008 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ।

4– न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2009 से अभियुक्त वीरेन्द्र की पत्रावली, शेष अभियुक्तगण से पृथक कर, किशोर न्यायबोर्ड विचारण हेतु भेजी गयी।

5– अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल के विरूद्ध धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का आरोप दिनांक 03.10.2023 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा (पी.डब्ल्यू. – 1) को प्रस्तुत व परीक्षित कराया गया तथा सेवानिवृत्त निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा (पी०डब्लू० 1) द्वारा अपने साक्ष्य में गैंगचार्ट को प्रदर्श क–2 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा शेष अभियोजन प्रपत्रो की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई, तब अभियोजन की प्रार्थना को दृष्टिगत रखते हुये, न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2026 से अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया व

पत्रावली अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० हेतु नियत हुई।

7– अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल का कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 31.01.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये यह कथन किया कि उन्होने किसी प्रकार का गिरोह नही बनाया व जनता में भय व आतंक नही है कभी लूट व असामाजिक कृत्य कर आर्थिक व लाभ अर्जित नही किया व कोई जघन्य अपराध कारित नही किये व न ही समाज विरोधी कोई कार्य किया। अभियुक्त प्रेमपाल ने कथन किया कि अ०सं० 208/3007, धारा 302,436,427 भा०द०सं० थाना मांट में अभियुक्त दोषमुक्त किया जा चुका है व अ०सं० 145/2008, धारा 307 भा०द०सं०, अ०सं० 147/2008, धारा 25 आयुध अधिनियम, दोनो थाना टप्पल जिला अलीगढ़ के है, में अभियुक्त सत्रवाद सं० 407/2010 में दिनांक 04.10.2011 को दोषमुक्त किया गया है।

8– अभियुक्तगण की ओर से सूची 21ख/1 से प्रपत्र 21ख /2 लगायत 21ख/9 से सत्रवाद संख्या 783/2008, राज्य बनाम विक्रम सिंह व प्रेमपाल, मुकदमा अपराध संख्या 208/2007, अन्तर्गत धारा 302,436,427 भा०द०सं०, थाना मांट, जिला मथुरा निर्णय दिनांक 13.01.2011 एवं दाण्डिक वाद संख्या 10363/2019, राज्य बनाम विक्रम सिंह, मु०अ०सं० 43/2007, धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा के निर्णय दिनांक 27.07.2019, सत्रवाद संख्या 407/2010, राज्य बनाम प्रेमपाल, अ०सं० 145/2008, अन्तर्गत धारा 307 भा०द०सं०, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़ एवं सत्रवाद संख्या 408/2010 राज्य बनाम प्रेमपाल, अ०सं० 147/2008, अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना टप्पल, जिला मथुरा के मामले में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2011 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है, जिसमें अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल पर लगाये गये आरोपो से उन्हे दोषमुक्त किया गया है, साथ ही मु०अ०सं० 142/08, राज्य बनाम विक्रम सिंह, अन्तर्गत धारा 3 यू०पी० गुण्डा एक्ट, थाना मांट, जिला मथुरा के अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), मथुरा के आदेश दिनांक 19.08.2009 की प्रति भी दाखिल की गई।

9– उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजनक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा बहस प्रारंभ करते हुए यह कहा गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप सन्देह से परे जाकर साबित है। अभियुक्तगण का जुर्म धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की हद को पहुंचता है। आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। बचाव में अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जबावी बहस करते हुए कहा गया कि वादी द्वारा झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे सिद्ध नही हो सका है। अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक सिद्ध नहीं है, अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

11– पत्रावली के अवलोकन के आधार पर मामले के न्यायसंगत निस्तारण हेतु, अभिनिश्चिय बिन्दु निम्नानुसार विरचित किया जाता हैं–

अवधारणीय प्रश्न

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक गैंग निर्मित करते हुए गैंग के लीडर व सदस्यों के रूप में कार्य करते हुए संपत्ति अर्जित की गई तथा समाज में भय व आतंक उत्पन्न किया गया?

12– अभियोजन व सफाई पक्ष के द्वारा दिये गये तर्कों के प्रकाश में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण और परीक्षण से पूर्व यह उचित प्रतीत हो रहा है कि मौखिक साक्षी के साक्ष्य का उल्लेख किया जाए–

13– अभियोजन साक्षी निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त) (पी०डब्लू०–1) ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि, '' दिनांक 10.07.2008 को मैं मांट थाना पर बतौर थाना अध्यक्ष तैनात था। क्षेत्र में अपराधियों की जानकारी से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र में अभि० विक्रम, प्रेमपाल, वीरन्द्र का एक सुसंगठित गिरोह है। जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु हत्या के प्रयास व हत्या जैसे अपराध करके अवैध धन अर्जित करते हैं। जनता में इस गैंग का इतना भय व आतंक है। जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट लिखने व गवाही देने को साहस नहीं कर पाता है। इनके विरुद्ध विभिन्न जनपद व विभिन्न थानों में निम्न लिखित आपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं जिनमें अभि० विक्रम के विरुद्ध मु०अ०सं०–208/07, धारा–302,436,427 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–142/08, धारा–3 यू.पी. गुण्डा एक्ट, थाना–मांट व मु०अ०सं०–43/07, धारा–25 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्त प्रेमपाल के विरुद्ध मु०अ०सं०–208/07, धारा–302,436,427 भा०दं०सं०, थाना– मांट व मु०अ०सं०–145/08, धारा–307 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–147/08, धारा–25 आर्म्स एक्ट दोनों थाना–टप्पल, जिला–अलीगढ़ व अभियुक्त वीरेन्द्र के विरुद्ध मु०अ०सं०–208/07, धारा–302,436,427 भा०दं०सं०, थाना–मांट व मु०अ०सं०–145/08, धारा–307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–147/08, धारा–25 आर्म्स एक्ट दोनों थाना–टप्पल, जिला–अलीगढ़ पर पंजीकृत हैं। जिनके आपराधिक इतिहास के दृष्टिगत उक्त गैंग की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु मेरे द्वारा दि०–10.07.2008 को गैंगचार्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को अनुमोदन किया गया ज पत्रावली पर कागज सं० 5क/1 पर मौजूद है। जो मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिस पर **प्रदर्श क–1** अंकित है। गैंगचार्ट अनुमोदन उपरान्त मैंने जुबानी सूचना के आधार पर एस.सी.पी. चरन सिंह से मु०अ०सं०–207/08, धारा–2/3 जी. एक्ट बनाम विक्रम सिंह आदि के विरुद्ध थाना–मांट पर दि०–16.07.2008 को बोल–बोलकर पंजीकृत कराया था जिसकी

चिक एफ.आई.आर. की मूल प्रति पत्रावली कागज सं. 4क/1 लगायत 4क/2 पर मौजूद है जिस पर थाना प्रभारी के रुप में मेरे हस्ताक्षर हैं। जिस पर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त भा०दं०सं० के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके यह कृत्य उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 दण्डनीय अपराध है।"

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि,'' क्षेत्र में किन आपराधियो से मुझे जानकारी हुयी कि विक्रम व प्रेमपाल का संगठित गिरोह है, उनके नाम नही बता सकता, क्योंकि मुझे इस समय याद नही है। यह मुकदमा दर्ज कराने से कितने दिन पहले मुझे किन आपराधियो ने विक्रम व प्रेमपाल के बारे में बताया था वह नही बता सकता। मैं यह भी नही बता सकता कि यह मुकदमा दर्ज कराने से कितने दिन पूर्व, विक्रम और प्रेमपाल के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज हुआ। गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमें, थाना मांट में इस मुकदमा को दर्ज कराने से पूर्व एक दो माह पूर्व दर्ज कराया गया था, थाना मांट में मु०अ०सं० 27/2008, धारा 302,436 भा०द०सं० में दर्ज कराया गया था एक धारा और है इस केस में जो कि मुझे इस समय याद नही है। थाना मांट में गुण्डा एक्ट व धारा 25 आयुध अधिनियम के मुकदमे भी दर्ज थे, ये मुकदमे धारा 302 भा०द०सं० के पहले दर्ज थे या बाद में दर्ज थे, मुझे याद नही है। गैंगचार्ट के मुकदमो के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत की गयी थी या नही मुझे याद नही है। मैंने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा कोई आर्थिक व भौतिक लाभ मिलने का कोई विवरण नही खोला है। मु०अ०सं० 27/2008 धारा 302,436 भा०द०सं० की विवेचना मेरे द्वारा ही की गयी है, इस रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामजद नही थे, इनके नाम विवेचना में प्रकाश में आये थे। किन व्यक्तियो के बयान व मुखबिर की सूचना पर इनके नाम आये मैं उन व्यक्तियो के नाम नही बता सकता, क्योंकि मुझे इस समय याद नही है। यह बात सही है कि मैंने पूर्व में दिये गये बयान में धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना मांट में दर्ज होना विक्रम के खिलाफ कहा है वह भूलवश कह गया हूँ, जबकि गैंगचार्ट में धारा 25 आयुध अधिनियम का मुकदमा थाना वृन्दावन का दर्शाया गया है। पत्रावली में प्रमाणित प्रतिलिपि के आदेश को देखकर कहा कि यह सही है कि अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल को थाना मांट के धारा 302,436 भा०द०सं० के केस में दिनांक 13.01.2011 को दोषमुक्त कर दिया है। पत्रावली पर धारा 25 आयुध अधिनियम का मुकदमा थाना वृन्दावन के निर्णय दिनांक 27.07.2019 को देखकर कहा कि विक्रम सिंह इस केस में दोषमुक्त हो गया है। **यह सही है कि गैंगस्टर एक्ट भा०द०वि० के अध्याय 16,17 व 22 के अन्तर्गत ही लगायी जाती है। यह सही है कि गुण्डा एक्ट का अपराध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत नही आता। गैंगचार्ट में आपराधिक इतिहास दर्शाने की वजह से मैंने गुण्डा एक्ट का अपराध लिखा दिया था।** मैंने गैंगचार्ट के साथ में उच्चाधिकारियो के अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र भी दिया था, लेकिन वो प्रार्थनापत्र पत्रावली पर नही है, इसका मैं कोई कारण नही बता सकता। मैंने यह मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई लिखित में आवेदन नही दिया था, बल्कि मैंने जुबानी प्रथम सूचना दर्ज करायी थी, उस समय मैं ही थाना

मांट का इंचार्ज था। यह कहना गलत है कि मैंने जुबानी रिपोर्ट दर्ज न करायी, बल्कि एस०सी०पी० चरन सिंह द्वारा स्वयं मेरे कहने से रिपोर्ट दर्ज कर ली हो और मुझ पर केवल हस्ताक्षर करा लिये हो। मैं गैंगचार्ट को अनुमोदन व अनुमति हेतु एस०एस०पी० महोदय व जिलाधिकारी महोदय को स्वयं नही लेकर गया था, बल्कि मैंने डाक से भेजा था, जो कागजात डाक से भेजा जाता है उसकी ऐंट्री जी०डी० पर नही होती, बल्कि डाकबही में होती है तथा जी०डी० में समस्त डाक की रवानगी का तस्करा लगता है। यह कहना गलत है कि मेरे अधिकारियो से अच्छे सम्बन्ध होने के कारण, मैंने स्वयं जाकर गैंगचार्ट का अनुमोदन करा लिया हो व एस०एस०पी० महोदय से अभियोग दर्ज करने की अनुमति ले ली गयी हो। प्रेमपाल धारा 25 आयुध अधिनियम व धारा 307 भा०द०सं०, थाना टप्पल के मुकदमे में बरी हो गया है, यह मेरी जानकारी में नही है। यह कहना गलत है कि मैं धारा 302 भा०द०सं० का विवेचक होने व थानाध्यक्ष मांट होने के कारण अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल के विरूद्ध गलत प्रथम रिपोर्ट दर्ज करायी हो। मेरे विवेचक ने बयान लिये थे तथा न्यायालय के बाहर कोर्ट परिसर में लिये थे, उस दिन मैं न्यायालय में गवाही देने के लिए आया था, मैं कौन से न्यायालय में आया था और किस केस में आया था, मुझे याद नही है। मेरे बयान दिनांक 30.09.2008 में लिये थे। विवेचक के साथ हमराह कॉंस्टेबिल थे ,उनके नाम मैं नही बता सकता। यह कहना गलत है कि विवेचक ने मेरे कोई बयान नही लिये हो और उन्होने स्वेच्छा से लिख लिये हो तथा विभागीय कार्यवाही होने के कारण मैं गलत कथन कर रहा हूँ। ''

विश्लेषण

14– इस आपराधिक वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.07.2008 को वादी मुकदमा राकेश कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराई गयी है। यह आपराधिक वाद विशेष प्रकार के अधिनियम के कारण सृजित होता है, जो कि समाज में व्याप्त भय को दूर करने का माध्यम बनने का प्रयत्न करता है। यह वाद उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अग्रसारित है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ ही गैंग चार्ट मुख्य रूप से विचारणीय होता है।

15– इस आपराधिक वाद में अभियोजन द्वारा एक साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा (पी०डब्लू० 1) को परीक्षित कराया गया है, जोकि स्वयं वादी मुकदमा है, उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि क्षेत्र में किन आपराधियों से उसे जानकारी हुयी कि विक्रम व प्रेमपाल का संगठित गिरोह है, वह उनके नाम नही बता सकता, क्योंकि उसे इस समय याद नही है–– उसने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा कोई आर्थिक व भौतिक लाभ मिलने का कोई विवरण नही खोला है। मु०अ०सं० 27/2008 धारा 302,436 भा०द०सं० की विवेचना उसके द्वारा ही की गयी है, इस रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामजद नही थे, इनके नाम विवेचना में प्रकाश में आये थे। किन व्यक्तियो के बयान व मुखबिर की सूचना पर इनके नाम आये

वह उन व्यक्तियो के नाम नही बता सकता, क्योंकि उसे इस समय याद नही है।––पत्रावली में प्रमाणित प्रतिलिपि के आदेश को देखकर कहा कि यह सही है कि अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल को थाना मांट के धारा 302,436 भा०द०सं० के केस में दिनांक 13.01.2011 को दोषमुक्त कर दिया है। पत्रावली पर धारा 25 आयुध अधिनियम का मुकदमा थाना वृन्दावन के निर्णय दिनांक 27.07.2019 को देखकर कहा कि विक्रम सिंह इस केस में दोषमुक्त हो गया है। यह सही है कि गैंगस्टर एक्ट भा०द०वि० के अध्याय 16,17 व 22 के अन्तर्गत ही लगायी जाती है। यह सही है कि गुण्डा एक्ट का अपराध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत नही आता। गैंगचार्ट में आपराधिक इतिहास दर्शाने की वजह से उसने गुण्डा एक्ट का अपराध लिखा दिया था। उसने गैंगचार्ट के साथ में उच्चाधिकारियो के अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र भी दिया था, लेकिन वो प्रार्थनापत्र पत्रावली पर नही है, इसका वह कोई कारण नही बता सकता।

16– अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस मामले में विशेष अधिनियम की धारा 4(क) (ख)(ग)(घ) के अनुसार कोई भी साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं है और विशेष अधिनियम की धारा 2(ख) के प्रथम भाग के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा वैसा कोई कार्य करते हुये गैंग चार्ट में वर्णित अपराधों को नहीं किया गया है। परिणामतः वह इसी कारण गैंग चार्ट में वर्णित मामलों के निर्णय, विशेष अधिनियम के निष्कर्ष को प्रभावित नही करता है। विशेष अधिनियम के मामले में किसी व्यक्ति को गैंगस्टर साबित करने के लिये विशेष अधिनियम की धारा 4 में वर्णित साक्ष्य या परिस्थितियों का होना और विशेष अधिनियम की धारा 14 की कार्यवाहियां होना आवश्यक है, किन्तु इस मामले में वैसा कुछ भी नहीं है।

17– यह सही है कि विशेष अधिनियम के किसी मामले में किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिये गैंगचार्ट में वर्णित एक मामला भी पर्याप्त है, किन्तु वह मामला विशेष अधिनियम की धारा 2 की परिधि में कठोरता से आना आवश्यक है। तत्पश्चात विचारण के मध्य विशेष अधिनियम के मामले को साबित करने के लिये धारा–4 विशेष अधिनियम में वर्णित अवयवों का होना आवश्यक है, अर्थात ऐसे किसी व्यक्ति को धारा 107 या धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 दं०प्र०संहिता के किसी मामले में विशेष अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जो कि पहले आबद्ध किया गया हो या उस व्यक्ति को किसी निवारक निरोध से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन, विशेष अधिनियम के मामले के पहले निरूद्ध किया गया हो या विशेष अधिनियम के मामले के पहले उस व्यक्ति को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम या ऐसे किसी अन्य विधि के अधीन बहिष्कृत किया गया हो, किन्तु धारा 4(ए) विशेष अधिनियम की आज्ञापक प्रकृति की नहीं हैं । इसके पश्चात यदि किसी व्यक्ति द्वारा विशेष अधिनियम की धारा 2 में वर्णित अपराधों के फलस्वरूप कोई चल व अचल संपत्ति बनायी गयी हो या उस व्यक्ति ने फिरौती के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या

अपहरण किया हो या उस व्यक्ति ने किसी अपहृत या व्यपहृत व्यक्ति को कुछ समय के लिये सदोष छिपाया या परिरूद्ध किया हो तो उस दशा में उस व्यक्ति को एक गिरोहबन्द व्यक्ति माना जायेगा, जब तक कि बचाव पक्ष प्रतिरक्षा में अन्यथा न साबित कर दे। विशेष अधिनियम की धारा 2(10) व (11) का आधारहीन सहारा लेना गिरोहबन्द अधिनियम के प्रत्येक मामले में विधिसंगत या तथ्यसंगत नहीं माना जायेगा, अन्यथा प्रत्येक आपराधिक मामले से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध विशेष अधिनियम का मामला अत्यन्त सुगमता व सरलता से बनाया जाना सदैव सम्भव है और वैसी दशा में विशेष अधिनियम के दुरूपयोग की शत प्रतिशत सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

18– इस मामले में पत्रावली पर ऐसा कोई भी अभिलेखीय या मौखिक साक्ष्य/प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिसके फलस्वरूप यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियुक्तगण का कोई एक संगठित गिरोह था और वह अपने साथियों के साथ एक गिरोहबन्द के रूप में लूट, चोरी आदि अपराध कारित करते थे या अभियुक्तगण ने गिरोहबन्द के रूप में कोई आर्थिक, भौतिक या कोई दुनियाबी लाभ प्राप्त करके कोई चल व अचल संपत्ति बना ली हो, चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में विशेष अधिनियम की धारा 14 की कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। गैंग चार्ट में वर्णित किसी मामले का निर्णय, उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दाण्डिक मामले अन्तर्गत धारा 2/3 के निष्कर्ष को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि यदि कहीं चार्ट में वर्णित किसी मामले में अभियुक्तगण दोषसिद्ध हो चुका है तो प्रत्येक दशा में वह गैंगस्टर माना जायेगा और उसे विशेष अधिनियम के मामले में भी दोषसिद्ध करना अनिवार्य होगा । विशेष अधिनियम के मामले को साबित करने के लिये धारा 4 विशेष अधिनियम के अवयवों या किसी एक अवयव का साक्ष्य के आधार पर सिद्ध होना आवश्यक है। विशेष अधिनियम की धारा 2 केवल किसी व्यक्ति को गैंगस्टर के मामले को सिद्ध करने के लिये विशेष अधिनियम की धारा–4 के तथ्यों को साक्ष्य रूप में सिद्ध होना विशेष विधि की आवश्यकता है। चूंकि विशेष अधिनियम का कोई मामला परिणामिक परिस्थितियां हैं, न कि कोई विशिष्ट अपराध। अतः उन परिस्थितियों को विशेष अधिनियम की धारा 4 की विधि के अनुसार सिद्ध होना प्रथम व अंतिम आवश्यकता है।

19– इस गैंगस्टर के वाद में जो साक्षी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, उन्होंने अभियुक्तगण के द्वारा समाज में कोई भय या आतंक कारित करने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण पर अधिरोपित दण्ड विधान के अपराधों की पुष्टि के रूप में कोई कथन नहीं किया है। अभियुक्तगण के ऊपर अधिरोपित किसी भी अपराध के द्वारा अभियुक्तगण ने कोई अवैध संपत्ति अर्जित की हो, इस तथ्य का भी कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

20– हस्तगत मामले में अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल के विरूद्ध बने गैंगचार्ट में तीन आधार वाद दर्शाये गये हैः–

अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल के विरूद्ध गैंगचार्ट में पहला आधार वाद मु०अ०सं० 208/2007, अन्तर्गत धारा 302,436,427 भा०द०सं०, थाना मांट, जिला मथुरा है, जिसमें अभियुक्तगण विक्रम सिंह व प्रेमपाल न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02 मथुरा, द्वारा पारित निर्णय 13.01.2011 दोषमुक्त हो चुके है, उक्त निर्णय की प्रति पत्रावली पर विद्यमान है।

अभियुक्त विक्रम के विरूद्ध गैंगचार्ट में तीसरा आधार वाद मु०अ०सं० 43/2007, अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना मांट, जिला मथुरा है, जिसमें अभियुक्त विक्रम न्यायालय अपर सिविल जज सी०डि०/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 5 मथुरा, द्वारा पारित निर्णय 27.07.2019 दोषमुक्त हो चुका है, उक्त निर्णय की प्रति पत्रावली पर विद्यमान है।

अभियुक्त प्रेमपाल के विरूद्ध गैंगचार्ट में दूसरा व तीसरा आधार वाद क्रमशः मु०अ०सं० 145/2008, अन्तर्गत धारा 307 भा०द०सं०, थाना मांट, जिला मथुरा एवं मु०अ०सं० 147/2008, अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना मांट, जिला मथुरा है, जिसमें अभियुक्त प्रेमपाल न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 16 जिला अलीगढ़, द्वारा पारित निर्णय 04.10.2011 दोषमुक्त हो चुका है, उक्त निर्णय की प्रति पत्रावली पर विद्यमान है।

अतः हस्तगत मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये यहॉ माननीय उच्चतम न्यायलय की निम्न विधि व्यवस्था ध्यान देने योग्य है–

1– Farhana v. State of U.P. & ors., 2024 (1) JIC 707 (SC) Supreme Court., जिसमें यह अवधारित किया गया है कि–

" Once an accused has been exonerated in the base case, continuation of prosecution in Gangster Act is unjustified."

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर, चूँकि अभियोजन कथानक, अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध नही है, तदनुसार अभिनिश्चय बिन्दु संख्या 1 नकारात्मक रूप से विरूद्ध अभियोजन निर्णीत किया जाता है।

21– तत्सम्बन्धी निर्णय विधियों एवं विशेष अधिनियम की विधियों तथा सम्बन्धित शासनादेश के प्रकाश में, मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन व विश्लेषण के पश्चात यही निष्कर्ष उपलब्ध हुआ कि अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल विशेष अधिनियम की शास्ति से मुक्त या धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अपराध/शास्ति से दोषमुक्त/मुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल को विशेष अधिनियम की धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

दोषमुक्त अभियुक्तगण विक्रम व प्रेमपाल जमानत पर हैं, उनके स्व बन्धपत्र निरस्त किये गये एवं उनके जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा–437(A) दं०प्र०सं० का अनुपालन किया जा चुका है, जिसकी विधिमान्यता आज निर्णय की तिथि से छः माह के लिये होगी।

धारा–365 दं०प्र०संहिता के अनुपालन में आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा को भेजी जाये।

दिनांक 25.03.2026

(श्वेता वर्मा)
(Ms. SWETA VERMA)
विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रिया कलाप (निवारण)अधिनियम /
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–5, मथुरा।
(आई०डी० यू०पी० 6428)

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांक 25.03.2026

(श्वेता वर्मा)
(Ms. SWETA VERMA)
विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रिया कलाप (निवारण)अधिनियम /
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–5, मथुरा।
(आई०डी० यू०पी० 6428)